

पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र

इस योजना में पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतएव पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारत का राजपत्र भाग - II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) संख्या 1067 नई दिल्ली वृहस्पतिवार सितम्बर 14, 2006/ भाद्र 23, 1928



(अमन कुमार सिंह)

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)

रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड

रायपुर छत्तीसगढ़



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARYभाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYनई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 14, 2006/भाद्र 23, 1928
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 14, 2006/BHADRA 23, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2006

का.आ. 1533(अ).—केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार या संबंधित संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के परामर्श से गठित किए जाने वाले राज्य या संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन संघ मंत्रिमंडल द्वारा 18 मई, 2006 को अनुमोदित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के उद्देश्यों के अनुसार जब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अभिलिखित नहीं हो जाती है, भारत के किसी भाग में, नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों पर या इस अधिसूचना की अनुसूची में यथा उपवर्णित उनके सक्षम पर्यावरणीय समाघातों पर विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण पर कतिपय निर्बंधन और प्रतिषेध अनिवार्य करने के लिए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन एक प्रारूप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में, का०आ० सं० 1324(अ), तारीख 15 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां 15 सितंबर, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और ऊपर उल्लिखित प्रारूप अधिसूचना के उत्तर में प्राप्त सभी आपेक्षाओं और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने सम्यक् रूप से विचार कर लिया है ।

अनुसूची

(पैरा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा वाली परियोजनाओं या क्रियाकलापों की सूची

क्र. सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
1	2	3	4	5
1(क)	खनिज का खनन	खनन पट्टा क्षेत्र वग ≥ 50 हे० किसी भी खनन क्षेत्र का ध्यान दिए बिना ऐंस्बैस्टज खनन	< 50 हेक्टेयर ≥ 5 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होगी टिप्पण खनिज पदार्थों के पूर्वक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है नतीत कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है।
1(ख)	अपतट और तटवर्ती तेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं		टिप्पण सार खोज सर्वेक्षण (जिसमें ड्रिलिंग न हो) को छूट दी गई है नतीत कि वास्तविक सर्वेक्षण के लिए छूट वाले क्षेत्रों की पूर्व अनुमति ली गई है।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥ 50 मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $\geq 10,000$ हे० खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	(i) $< 50 \geq 25$ मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $< 10,000$ हे० खेती योग्य प्रभावित क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होगी
1(घ)	तापीय विद्युत संयंत्र	(कोयला लिग्नाइट और नेप्था गैस आधारित) ≥ 500 मे.वा. ≥ 50 मे.वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/नेप्था एवं गैस आधारित) < 500 मे.वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन) < 50 मे.वा ≥ 5 मे.वा.	साधारण शर्तें लागू होगी
1(ङ)	आणविक विद्युत परियोजनाएं और आणविक ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	कोयला धोवनशालाएं	≥ 1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	< 1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्तें लागू होगी (यदि खनन क्षेत्र के अंदर स्थित है तो प्रस्ताव का मूल्यांकन खनन प्रस्ताव के साथ किया जाना चाहिए)

[भाग II-खण्ड 3(ii)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

अनुसूची

(परा 2 और 7 देखें)

पूर्व पर्यावरणीय अनाधिन की अपेक्षा वाली परियोजनाओं की क्रियाकलापों की सूची

क्र. सं.	परियोजना या क्रियाकलाप	अवसीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
1	खनन, प्राकृतिक संसाधन का निष्कर्षण और विद्युत उत्पादन विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)			
		2	3	4
1(क)	खनिज का खनन	खान पट्टा क्षेत्र का ≥ 50 हे० किमी मी खनन क्षेत्र का व्यापारिक विना पर्यावरण खनन	< 50 हे० क्षेत्र ≥ 5 हे०/वर्ष खनन पट्टा क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी स्थान अन्य पट्टाओं को पूर्ववत् (मिलाने दिनांक न हो) को छुट दी गई है परंतु उन नालेबंद सड़कों को छिड़ छुट वाले क्षेत्रों को पूर्व अनुमति दी गई है।
1(ख)	अमरुत और तटवर्ती सेल तथा गैस की खोज, विकास और उत्पादन	सभी परियोजनाएं		सभी परियोजनाएं (अन्य दिनांक न हो) को छुट दी गई है परंतु उन नालेबंद सड़कों को छिड़ छुट वाले क्षेत्रों को पूर्व अनुमति दी गई है।
1(ग)	नदी घाटी परियोजनाएं	(i) ≥ 50 मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $\geq 10,000$ हे०/वर्षीय औसत प्रभावित क्षेत्र	(i) $< 50 \geq 25$ मे०वा० जल विद्युत उत्पादन (ii) $< 10,000$ हे०/वर्षीय औसत प्रभावित क्षेत्र	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(घ)	राष्ट्रीय विद्युत संयंत्र	(कोयला/लिग्नाइट और गैस आधारित) ≥ 500 मे०वा. ≥ 50 मे०वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन)	(कोयला/लिग्नाइट/गैस एवं गैस आधारित) < 500 मे०वा. (पेटकोक, डीजल और सभी अन्य ईंधन) < 50 मे०वा ≥ 5 मे०वा	साधारण शर्तें लागू होंगी
1(ङ)	आयुर्विद्य विद्युत परियोजनाएं और आयुर्विद्य ईंधन का प्रसंस्करण	सभी परियोजनाएं		
2	प्राथमिक प्रसंस्करण			
2(क)	लोचल धोवनशालाएं	≥ 1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	< 1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्तें लागू होंगी (यदि खनन क्षेत्र का उत्तर दिया है तो प्रसंस्करण क्षेत्रों को छुट दी गई है परंतु उन नालेबंद सड़कों को छिड़ छुट वाले क्षेत्रों को पूर्व अनुमति दी गई है।

12

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II—SEC. 3(ii)]

2(ख)	खनिज सज्जीकरण	≥ 0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	< 0.1 मिलियन टन/ वार्षिक कोयले का उत्पादन	साधारण शर्त लागू होगी अन्तर्गति प्रदान करने के लिए खनन प्रस्ताव को खनिज सज्जीकरण के साथ ही मूल्यांकन किए जाने चाहिए
घटसूची उत्पादन				
3(क)	धातुकर्म घर (आयत और गैर आयत)	क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग सभी परियोजनाएं ख) धातु आयातन विनियम ≥ 200 टन पी डी ग) ग्रीष्म ऋतु कार्य प्रसंस्करण उद्योग सभी विद्युत और गैर धातु उत्पादित करने वाली इकाइयां $\geq 20,000$ टन/ वार्षिक	सर्व आयातन विनियम < 200 टन पी डी ग्रीष्म ऋतु कार्य प्रसंस्करण उद्योग 1) सभी विद्युत और गैर धातु उत्पादित करने वाली इकाइयां $< 20,000$ टन/ वार्षिक 2) अन्य सभी विद्युत ग्रीष्म ऋतु कार्य प्रसंस्करण उद्योग > 5000 टन/ वार्षिक	सर्व आयातन विनियम के लिए साधारण शर्त लागू होगी
3(ख)	सीमेंट संयंत्र	वार्षिक उत्पादन क्षमता ≥ 1.0 मिलियन टन	वार्षिक उत्पादन क्षमता < 1.0 मिलियन टन यह सभी प्राइडिंग इकाइयों के लिए लागू है	साधारण शर्त लागू होगी
पथीय प्रसंस्करण				
4(क)	पेट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योग	सभी परियोजनाएं		
4(ख)	जल भट्टी संयंत्र	$\geq 2,50,000$ टन वार्षिक	$< 2,50,000$ एवं $\geq 25,000$ टन वार्षिक	
4(ग)	प्रसंस्करण मिलों और एनोस्टास आधारित उद्योग	सभी परियोजनाएं		
4(घ)	अन्य प्रकार के उद्योग	उत्पादन क्षमता ≥ 300 टन पी डी या अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में स्थित अगतिशील इकाई	उत्पादन क्षमता < 300 टन पी डी और अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र/संपदा में अवस्थित इकाई	विनिर्दिष्ट शर्त लागू होगी किसी नए पत्र प्रकाश आधारित संयंत्र को अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और इस अधिसूचना द्वारा अतिरिक्त प्रकाश प्रौद्योगिकी में परिचलन करने वाली विद्यमान इकाई को पूरा प्राप्त है

उद्योग			
5(अ)	चीनी उद्योग	गन्तव्य देने की क्षमता 25000 टन दैनिक	साधारण शर्त लागू होगी
5(ट)	प्रेरण/आर्क मट्टी/कुपोला मट्टी 5 टन प्रति घंटा या ऊपर	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
6	सेवा सेक्टर		
6(क)	राष्ट्रीय उद्यानों/ जलवायु/ प्रवाल भित्तियों/ एस एम जी टर्मिनल सहित पारिस्थिकीय संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरने वाली रेल और गैस परिवहन पाइप लाइनें (अपशिष्ट और परिकरणी / पैट्रो स्थापन उत्पाद)	सभी परियोजनाएं	
6(ख)	एकल मंडारकरण और परिसंकटमय स्थापन को समाप्तना (एमएसआईएसी नियम, 1989 और 2000 की संशोधित अनुसूची 2 और 3 के स्तंभ 3 में उपदर्शित अवसीमा योजना परिमाण के अनुसार)	सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7	पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक अवसंरचना		
7(क)	विमानपत्तन	सभी परियोजनाएं	
7(ख)	सभी पोत मजदूरी यार्ड जिसमें पोत मजदूरी इकाई भी सम्मिलित है	सभी परियोजनाएं	
7(ग)	औद्योगिक सम्पदा/पार्क/परिसर/ क्षेत्र/निर्वात प्रस्तुतकरण ज्ञान(वि.प्र.जो.) विशेष आर्थिक ज्ञान(वि.आ.जो.) जैव प्रौद्योगिकी पार्क समझा परिसर	प्रस्तावित औद्योगिक सम्पदा में यदि एक से अधिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है तो पूरे औद्योगिक क्षेत्र को क्षेत्रों के ही समझा जाएगा चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो 500 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र की औद्योगिक सम्पदाएं और जिनमें कम से कम एक क्षेत्रों के उद्योग स्थित हों	औद्योगिक सम्पदाएं और जिनमें कम से कम एक क्षेत्रों के उद्योग स्थित हैं और क्षेत्र < 500 हेक्टेयर हो औद्योगिक सम्पदाएं क्षेत्र > 500 हेक्टेयर और जिनमें सभी के या ख क्षेत्रों का कोई उद्योग नहीं है
7(घ)	सामान्य परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार मंडारकरण और निपटान सुविधाएं (उ.मं.नि.सु.)	सभी एकीकृत सुविधाएं जिनमें नस्तीकरण और भूमिभरण या केवल भस्मीकरण शामिल है	कठोर भूमि भरण वाली सभी सुविधाएं
			साधारण शर्त लागू होगी

7(ड)	रस्ते, बंदरगाह	≥ 5 मिलियन टन वार्षिक स्तर की उठाई-भराई की क्षमता (मत्स्य बंदरगाह से भिन्न)	< 5 मिलियन टन वार्षिक स्तर की उठाई-भराई की क्षमता और पत्तन/बंदरगाह में $\geq 10,000$ टन वार्षिक मछली पकड़ने की क्षमता	साधारण शर्त लागू होगी
7(च)	राजमार्ग	1) नए राष्ट्रीय राजमार्ग और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा चौड़ाई के राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है और एक से अधिक राज्यों से गुजरते हैं	1) नए राज्य राजमार्ग और 2) 30 कि.मी. से ज्यादा चौड़े राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों का विस्तार जिनमें मार्ग के दोनों ओर अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण 20 मीटर से ज्यादा है	साधारण शर्त लागू होगी
7(छ)	आवासीय वास्तु संयोजन		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(ज)	सामान्य सार्वजनिक संयोजन (स.स.सं.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
7(झ)	नगरपालिका क्षेत्र अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा (स.न.अ.प्र.स.)		सभी परियोजनाएं	साधारण शर्त लागू होगी
8 भवन/संनिर्माण परियोजनाएं/क्षेत्र विकास परियोजनाएं और शहरीकरण				
8(क)	भवन एवं संनिर्माण परियोजनाएं		≥ 25000 वर्ग मी. के निर्मित क्षेत्र और $< 1,50,000$ वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र #	# आवृत्त संनिर्माण से लिए निर्मित क्षेत्र आकार की ओर खुली सुविधाओं की दृष्टि से यह क्षेत्र बालक क्षेत्र में होगा।
8(ख)	नगरी और क्षेत्र विकास परियोजनाएं		≥ 5000 क्षेत्र को समितित करने हुए और या निर्मित क्षेत्र $\geq 1,50,000$ वर्ग मीटर ++	— 8 (ख) के अंतर्गत सभी परियोजनाओं को ल 1 प्रवर्ग के अनुसार निर्बंधित किया जाएगा।

टिप्पणी

साधारण शर्त (सा.श.)

प्रथम "ख" में विनिर्दिष्ट किसी परियोजना या क्रियाकलाप को प्रदर्शित "क" माना जाएगा, यदि वह: (i) कचरा क्षेत्र (संस्करण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र); (ii) उसकी समस्त-समय पर केन्द्रित प्रदूषण निबंधन बॉर्डर द्वारा निर्धारित क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है; (iii) पर्यावरणिक संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित है; और (iv) अंतरराष्ट्रीय सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से दस किलोमीटर के भीतर संपूर्ण रूप से वा आंशिक रूप से अवस्थित है।

विनिर्दिष्ट शर्त (वि.श.)

यदि कोई नव 4(घ), 4(ग), 6(ड), 5(च) जैसी समयुक्त की प्रकार का उपयोग वाला औद्योगिक संयंत्र/कारखाना/निर्यात प्रसंस्करण जोन/विशेष आर्थिक जोन/जैव प्रौद्योगिकी उद्योग/घमझा परिसर या पूर्व निर्धारित गतिविधियों वाले उद्योग (आवश्यक नहीं कि वे समयुक्त हों) पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त करते हैं, तो ऐसी संयंत्रों/कारखानों के भीतर प्रस्तावित उद्योगों सहित निजी उद्योगों को तब तक पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति लेना अपेक्षित नहीं है जब तक कि औद्योगिक कारखाना/संयंत्र के लिए निबंधनों और शर्तों का अनुपालन नहीं करते (ऐसी संयंत्र/कारखानों की पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की निबंधनों और शर्तों के लिए सहमत भुविस्थित करने के निष्पक्ष स्तरावधि से स्पष्ट रूप से पहचान करने का प्रबंध होना चाहिए जिसे कारखाना/संयंत्र के सारे जीवन में उसके अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकेगा)।

[सं. वे-11013/56/2004-आईए-III]

आर. चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव